संख्या– 201 /XXVII(6)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6

देहरादून: दिनांक: 13 जुलाई, 2007

विषय– विभिन्न विभागों में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग का गठन एवं नियुक्ति हेतु अर्हता।

महोदय,

शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1802/दस–34 (एम)–83 दिनांक 11 अगस्त 1983 एवं शासनादेश संख्या–450/XXVII(6)/2006 दिनांक 22 दिसम्बर 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय 18–ए में स्पष्ट किया गया है कि विभाग में विशेषकर विभागाध्यक्ष स्तर पर लेखा संगठन का गठन किया जाय। परन्तु अब भी कतिपय विभागों में पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी है। अनेक विभागों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदो की शैक्षिक योग्यता एवं इन पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी। कृपया इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय।

1– सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के अधीन औपचारिक लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग सृजित करेंगे।

2– लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार होगी।

(क) लेखा संवर्गः–

पदनाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता
1–सहायक लेखाकार	रू0 4500–7000	बी0कॉम0 या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट, जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की– डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।
2–लेखाकार	रू0 5500–9000	सहायक लेखाकार के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रोन्नति द्वारा।

(ख) लेखा परीक्षा संवर्ग :–

पदनाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता
1–लेखा परीक्षक	रू0 4500–7000	बी0कॉम0 या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट,जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है।
2–ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 5500–9000	लेखा परीक्षक के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रोन्नति द्वारा।

उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदो पर चयन हेतु साक्षात्कार की प्रकिया समाप्त कर दी गई है। अतः आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदो जिन पर, विभागीय चयन समिति द्वारा, चयन किये जाने की व्यवस्था है। उन पदो पर चयन हेतु अनुसचिवीय (मिनिस्टीरियल) पदों के लिये निर्धारित

व्यवस्था है। उन पदो पर चयन हेतु अनुसचिवीय (मिनिस्टीरियल) पदों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्र के अतिरिक्त बी0कॉम0 स्तर के पाट्यकम तथा कम्प्यूटर के "ओ" लेवल के सर्टिफिकेट स्तर का कम्प्यूटर विषयक 100 अंको का एक अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसका मूल्यांकन उसी प्रकार किया जाएगा जैसा की सामान्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर पर टंकण की 50 अंको की एक परीक्षा देनी होगी जिसमें 5000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की न्यूनतम गति होना अनिवार्य है।

लेखा एवं लेखा परीक्षक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु उपरोक्तानुसार प्रकिया सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।
O/C